आमसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्ते तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012 एवं छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतो के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्ते तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा स्थापित 4x600 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, ग्राम–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 से आगामी वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत टेड्रिंग कंपनी को प्रदाय की जा रही ऊर्जा की परिवर्तनीय लागत (वेरिएबल कास्ट) के निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष याचिका (क्रमांक 44/2017(T)) प्रस्तुत की गयी है।

जिंदल पॉवर लिमि. द्वारा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवधि के लिये रूपये 2.289 प्रति यूनिट, वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि के लिये रूपये 2.678 प्रति यूनिट, वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि के लिये रूपये 2.183 प्रति यूनिट, वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि के लिये रूपये 1.824 प्रति यूनिट एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा आगामी वर्षों की अवधि के लिये रूपये 1.824 प्रति यूनिट अस्थाई अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष उपरोक्त याचिका दाखिल की है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रू. 250/– का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रू. 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्तियों/टिप्पणियों को इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर जिंदल पॉवर लिमि. के कार्यालय ग्राम–तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़–496107 एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001 के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

सुझाव/आपत्तियों/टिप्पणियों की अग्रिम प्रति जिंदल पॉवर लिमि. को फैक्स नंबर 0771–3054666 पर एवं/अथवा आयोग को फैक्स नंबर 0771 – 4073553 पर भेजी जा सकती है। छ. ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग आपत्तियां/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाषित की जावेगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(भरत रोहरा)
जिंदल पॉवर लिमिटेड,
तमनार, जिला रायगढ़–496107 (छ.ग.)